भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1044
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिमी बंगाल में बरामद जाली भारतीय मुद्रा नोट

1044 श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में पश्चिमी बंगाल से बरामद जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की कुल संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा वर्तमान में एफआईसीएन से संबंधित कितने मामलों की जाँच की जा रही है;

(ग) राज्य में एफआईसीएन के मामलों में दोषसिद्धि में एनआईए की सफलता दर कितनी है;

(घ) राज्य में एफआईसीएन की तस्करी और वितरण को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ड) क्या एफआईसीएन के मुद्दे को और अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पश्चिमी बंगाल में कोई विशेष कार्य बल बनाए गए हैं या अभियान शुरू किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किये गए अपराध के आकड़ों को संकलित करता है और इसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करता है । नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है । वर्ष 2022 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-2022 के दौरान पिछले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल से बरामद की गई जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	पश्चिम बंगाल से बरामद की गई जाली भारतीय मुद्रा नोटों की संख्या
2018	13109
2019	24037
2020	24227
2021	15918
2022	13370
कुल	90661

(ख) से (ग): राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने अपने स्थापना वर्ष 2008 से अब तक पश्चिम बंगाल में 15 एफआईसीएन से संबंधित मामलों की जांच की है । जिसमें सभी 13 निर्णीत मामलों में, 100% की दोषसिद्धि दर सुरक्षित की गई है ।

(घ): भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय-x के तहत करेंसी नोटों की जालसाजी एक अपराध है, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास का प्रावधान है । उच्च क्वालिटी के कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत के आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है तो ऐसे कृत्य गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी कार्य घोषित किए गए है ।

राज्य सभा अता.प्र.स. 1044 दिनांक 04.12.2024

देश में जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन की समस्या का मुकाबला करने के लिए केंद्र/राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया/सूचना साझा करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक एफआईसीएन समन्वय समूह (एफसीओआरडी) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) में आतंकी फंडिंग और नकली मुद्रा (टीएफएफसी) सेल का भी गठन किया गया है ताकि आतंकी फंडिंग और नकली मुद्रा मामलों की केंद्रित जांच की जा सके ।

जाली करेंसी नोटों की तस्करी और परिचालन को रोकने और उससे निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए ।

भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) स्थापित किया गया है और यह एफआईसीएन से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बनाने में काफी प्रभावी रहा है। 2014 से अबतक जेटीएफ की छह बैठकें हो चुकी हैं। एनआईए ने केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ एफआईसीएन तस्करी से निपटने के लिए बांग्लादेश और नेपाल सहित पड़ोसी देशों के पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ड): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं । जाली करेंसी से सम्बंधित अपराधों सहित, अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, पंजीकरण, जाँच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है । तथापि, नकली मुद्रा खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण उपरोक्त उत्तर (घ) पर उल्लेखित है ।

******